संख्या-118/2021 /614/23-9-2021-04अन्य/2018

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष्,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 02 अगस्त, 2021

विषय -वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो के चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1642बी.जी./7बी0- ग्रामीण मार्ग/2021-22, दिनांक 18-06-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा स्वीकृत जनपद अम्बेडकर नगर के कुल 03 चालू कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त 03 चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-9 के अनुसार रू0 84,65,000/- (रूपये चौरासी लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या व दि0	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	31.03.2021 तक आवंटन/व्यय	01.04.2021 को अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अम्बेडकर नगर	कमालपुर पिकार केवटाही सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	38/2021/आ0-148/23-9-2020-04स0मा0/2020 दिनांक - 17-02-2021	0.600	38.87	7.77	30.74	30.74
2	अम्बेडकर नगर	खरूवइया खास सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	38/2021/आ0-148/23-9-2020-04स0मा0/2020 दिनांक - 17-02-2021	0.500	30.96	6.19	24.41	24.41

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या व दि0	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	31.03.2021 तक आवंटन/व्यय	01.04.2021 को अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	अम्बेडकर नगर	निजामपुर खास सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	38/2021/आ0-148/23-9-2020-04स0मा0/2020 दिनांक - 17-02-2021	0.600	37.23	7.44	29.50	29.50
			कुल योग-	**1.7**	**107.06**	**21.4**	**84.65**	**84.65**

3- उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

4- उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक रूप से पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- संलग्न तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था, 00, 24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।

3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ ।

5- समस्त संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, को सूचित करने का कष्ट करें।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 / वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

7- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।